भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4769
28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर

4769. **श्री देवेश शाक्य**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पर्याप्त पेंशन और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं/बच्चों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेना में सेवा करते हुए शहीद हुए उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज और औरैया जिलों के सैनिकों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उनके परिवारों को अनुग्रह राशि, पेंशन, नौकरी या अन्य लाभ जैसी सभी सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है और इन सुविधाओं को प्रदान करने में देरी, यदि कोई हो, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) और (ख): जी हां। सरकार मौजूदा नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश सहित, देश में भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन प्रदान कर रही है।

इसके अलावा, वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना का उद्देश्य समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले वर्तमान और पूर्व सैनिकों के पेंशन दरों के अन्तर को कम करना है। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए उनकी मांग के आधार पर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉर्पोरेट हाउस, निजी क्षेत्र, केंद्रीय अर्ध-सैनिक बलों इत्यादि में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पुनर्स्थापना/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, रोजगार और स्वरोजगार स्कीमें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इसके अलावा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह 'ग' में 14.5% रिक्तियाँ और समूह "घ" में 24.5% रिक्तियाँ आरक्षित हैं।

(ग) देश में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्योरे अनुबंध के रूप में संलग्न हैं।

(घ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण में निःशक्त भूतपूर्व सैनिकों और सैन्य कार्रवाई में मारे गए सेना कार्मिकों के आश्रितों के लिए 4.5% रिक्तियाँ शामिल हैं।

भारतीय सेना के अधिकारी चयन के तहत भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और युद्ध में हताहतों के आश्रितों/बच्चों के लिए रिक्तियाँ आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, ड्यूटी के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं को महिलाओं के लिए अल्प सेवा कमीशन में 5% रिक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। विधवा/ भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को संबंधित रेजीमेन्टल केन्द्रों द्वारा नामांकित किया जाता है और उन्हें अग्निपथ योजना और नियमित कैडर के अंतर्गत भर्ती के लिए आयोजित ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा में बोनस अंक दिए जाते हैं।

(ङ) और (च): रक्षा मंत्रालय द्वारा 'शहीद' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस मंत्रालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विगत तीन वर्षों (2022 से 2024) के दौरान सैन्य सेवा के कारण सेवा में निधन होने वाले सैनिकों में एटा में चार, औरैया में दो और कासगंज, मैनपुरी और कन्नौज जिलों से शून्य सैनिक शामिल हैं।

इन प्रत्येक मामलों में, देय अनुसार विशेष पारिवारिक पेंशन या उदारीकृत पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, देय अनुसार अनुग्रह/ गैच्युटी राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। इसे समयबद्ध प्रकार से किया गया है।

अनुबंध

"भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर" के बारे में दिनांक 28.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4769 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 31.12.2023 तक ईएसएम के जनगणना आंकड़े

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सेना	नौ सेना	वायु सेना	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	63,574	6,665	7,673	77,912
2.	अरुणाचल प्रदेश	980	5	1	986
3.	असम	38,316	914	2,732	41,962
4.	बिहार	100,849	15,746	16,931	133,526
5.	छत्तीसगढ़	6,746	334	411	7,491
6.	गोवा	1,113	1,030	202	2,345
7.	गुजरात	27,315	1,141	5,019	33,475
8.	हरियाणा	154,153	9,258	12,226	175,637
9.	हिमाचल प्रदेश	121,637	4,343	2,596	128,576
10.	झारखंड	25,680	1,666	2,747	30,093
11.	कर्नाटक	78,579	3,089	12,335	94,003
12.	केरल	143,296	14,506	23,734	181,536
13.	मध्य प्रदेश	53,344	1,566	2,118	57,028
14.	महाराष्ट्र	167,788	15,533	13,166	196,487
15.	मणिपुर	8,397	150	197	8,744
16.	मेघालय	2,830	56	86	2,972
17.	मिजोरम	5,394	51	61	5,506
18.	नागालैण्ड	3,221	45	24	3,290
19.	ओडिशा	40,067	4,383	7,887	52,337
20.	पंजाब	335,328	9,767	14,369	359,464

21.	राजस्थान	193,825	8,264	7,434	209,523
22.	सिक्किम	1,000	63	12	1,075
23.	तमिलनाडु	104,533	4,015	11,975	120,523
24.	तेलंगाना	19,455	1,532	7,213	28,200
25.	त्रिपुरा	2,357	43	128	2,528
26.	उत्तर प्रदेश	349,880	29,534	41,731	421,145
27.	उत्तराखण्ड	132,576	3,470	3,315	139,361
28.	पश्चिम बंगाल	83,542	5,906	14,745	104,193
29.	अंडमान एवं निकोबार(यूटी)	803	178	100	1,081
30.	चंडीगढ़(यूटी)	6,189	458	2,513	9,160
31.	दिल्ली(यूटी)	46,831	5,748	10,766	63,345
32.	जम्मू एवं कश्मीर(यूटी)	74,940	789	895	76,624
33.	लेह एवं लद्दाख(यूटी)	6,313	11	30	6,354
34.	पांडिचेरी(यूटी)	1,864	134	471	2,469
	कुल	**2,402,715**	**150,393**	**225,843**	**2,778,951**

******